

केन्द्रीय सूचना आयोग
वावा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2018/64
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2018/00054
CICOM/R/2017/01463

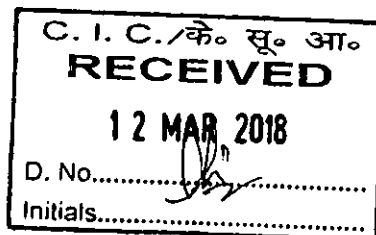
दिनांक: 23.02.2018

अपीलकर्ता : श्री बलवान सिंह,
मकान नं. 202, डेसू पोल नं. 95,
गांव व डाकखाना - मुण्डका, दिल्ली - 41.
मो0 - 8130629562.

निर्णय की तारीख: 23.02.2018

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	03.11.2017
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	13.12.2017
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री आर. पी. गोवर
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	07.02.2018
आयोग में प्रथम अपील का डायरी सं. व तिथि	109194/09.02.2018
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	60/12.02.2018

1. अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 21.12.2017 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से चार बिंदुओं पर सूचनाएं मांगी गई थी जिसमें से प्रथम तीन बिंदु लोक नायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराध शास्त्र एवं विधि विज्ञान संस्थान से एवं बिंदु सं. चार केन्द्रीय सूचना आयोग के आदेश सं. CIC/SB/A/2015/000683 से संबंधित था। अपीलकर्ता ने प्रथम अपील आवेदन में उल्लेख किया है उक्त विभाग द्वारा उन्हें कोई सूचना प्रदान नहीं की जा रही है।
2. संबंधित संचिका एवं प्रथम अपील का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के दिनांक 21.12.2017 के आर.टी.आई. आवेदन के बिंदु सं. 1, 2 एवं 3 से संबंधित सूचना प्रदान करने हेतु श्री आर. पी. गोवर, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा लोक नायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराध शास्त्र एवं विधि विज्ञान संस्थान के जन सूचना अधिकारी को अग्रसारित कर दिया गया है एवं बिंदु सं. 4 से संबंधित तत्कालीन सूचना अपीलकर्ता को उपलब्ध करवा दी गई है। श्री आर. पी. गोवर द्वारा प्रदान की गई सूचना में भूलवश पत्र सं. CICOM/R/2017/01453 टंकित हो गया है, इसे CICOM/R/2017/01463 पढ़ा जाए। आर.टी.आई. आवेदन के बिंदु सं. 1, 2 एवं 3 के संदर्भ में उल्लेख उल्लेखनीय है कि सूचना अधिकार अधिनियम के तहत प्रथम अपीलीय अधिकारी केवल अपने कार्यालय के जन सूचना अधिकारी हो ही सूचना उपलब्ध करवाने हेतु निर्देश दे सकता है, अतः अपीलकर्ता को सुझाव दिया जाता है कि लोक नायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराध शास्त्र एवं विधि विज्ञान संस्थान विभाग में प्रथम अपील दाखिल करें।
3. तदुसार अपील निस्तारित की जाती है।
4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, वावा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है।



प्रतिलिपि :

1. श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।

12/3/18

(आर. के. सिंह)

अपर सचिव एवं

प्रथम अपीलीय अधिकारी

दूरभाष - 011-26162290